गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ, गाजियाबाद

पत्रांक : 2559/मा०प्लान अनु०/20 दिनांक: 15.09.2020

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै० रिवेरा रियलटेक प्रा० लि० के डायरेक्टर श्री ऋषि गुप्ता द्वारा खसरा संख्या–1205 मि० ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद की भूमि पर होटल हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद जोनल डेवलपमेन्ट प्लान–2021 जोन–1 के अनुसार खसरा संख्या–1205 मि० ग्राम नूरनगर का भू–उपयोग 30 मी० चौडे मार्गाधिकार की भूमि छोडनें के उपरान्त शेष भाग का भू–उपयोग आवासीय है। वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि यथासंशोधित–2018 के अध्याय–5 में होटल निर्माण हेतु अपेक्षाएं के बिन्दु संख्या–5.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्रों में होटल के निर्माण की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव उचित माध्यम से आमंत्रित किया जाने का प्राविधान है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते है यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेंगा।

उपाध्यक्ष

ई-मेल : **helplinegda@gmail.com, @gdagzb : gdagzb**

हेल्पलाईन नः **0120-3342433**, व्हाट्सएप : **9818988807**

वेबसाईट : **www.gdaghaziabad.com**

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प